



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

कार्यालय आदेश

क्रमांक :- संस्था./2026/127

दिनांक :- 19-5-2026

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक: प.23(1) शिक्षा-5/2025/बोर्ड/पार्ट-2 (राजकाज 33629) जयपुर, दिनांक 18.03.2026 के क्रम में सहायक निदेशक पद की वर्ष 2024-25 की रिव्यू डीपीसी होने से दिनांक 01.04.2025 की स्थितिनुसार सहायक निदेशक पद की संशोधित अस्थाई वरिष्ठता सूची कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था./2026/87 दिनांक 27.04.2026 द्वारा जारी कर 07 दिवस की अवधि में वरिष्ठता के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि में किसी भी कार्मिक की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सहायक निदेशक पद की दिनांक 01.04.2025 की स्थितिनुसार संशोधित अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है :-


क्र. सं.	कर्म. सं.	नाम	वर्ग	योग्यता	जन्मतिथि	पदोन्नति दिनांक
1.	741	श्री गोविन्द प्रसाद कोली	SC	एम.ए.	25.10.1967	01.06.2012
2.	370	श्री राम बहादुर सिंह	UR	बी.कॉम	01.08.1966	01.11.2023
3.	664	श्री अजय कुमार ईनाणी	UR	बी.कॉम	13.04.1966	01.12.2023
4.	648	श्री उमेश कुमार चौरसिया	UR	बी.कॉम. एम.ए. एलएलबी, बैचलर इन जर्नलिज्म	03.09.1965	01.03.2024
5.	661	श्रीमती सुशीला गोकलानी	UR	बी.कॉम	13.03.1967	01.03.2024
6.	765	श्री रामप्रसाद राठौड़िया	SC	बी.ए.	01.06.1971	01.04.2024
7.	639	श्री अरुण कुमार जोशी	UR	बी.कॉम	30.06.1967	01.04.2024
8.	641	श्री राकेश कुमार गर्ग	UR	बी.कॉम	17.06.1968	01.04.2024
9.	637	श्री रामेश्वर लाल शर्मा	UR	बी.कॉम	19.12.1965	01.04.2024
10.	646	श्री कैलाश चंद खण्डेलवाल	UR दिव्यांग	बी.कॉम., एलएलबी, पीजीडीएलएल, पीजीडीसीएल	27.02.1968	01.04.2024
11.	677	श्री शिवप्रकाश सोनी	UR	बी.कॉम, एम.ए.	09.07.1968	01.04.2024

- नोट:- 1. श्री गोविन्द प्रसाद कोली, सहायक निदेशक का वर्तमान धारित पद माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील 153/16, 974/16 एवं 975/16 में पारित अंतरिम आदेश के अध्याधीन है एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्तमान में छाया पद पर कार्यरत है।
2. वरिष्ठता सूची माननीय उच्च न्यायालय में दायर द्वितीय अपील सी.एस.ए 173/2019 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बनाम महेश कुमार राठी के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
3. उक्त वरिष्ठता सूची माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों एवं राज्य सरकार से चाहे गये परीक्षण/मार्गदर्शन के निर्णयाधीन/अध्याधीन होगी।


सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित कार्मिक
02. निजी पंजिका/संबन्धित पंजिका।
03. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर आई.टी एण्ड सी. शाखा
(कार्यालय की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु)।
04. लेखा शाखा (कम्प्यूटर कक्ष)।


निदेशक (प्रशासन)